"बिजनेस पोस्ट के अन्तर्गत डाक शुल्क के नगद भुगतान (बिना डाक टिकट) के प्रेषण हेतु अनुमत. क्रमांक जी.2-22-छत्तीसगढ़ गजट / 38 सि. से. भिलाई. दिनांक 30-05-2001."

पंजीयन क्रमांक
"छत्तीसगढ़/दुर्ग/09/2013-2015."

छत्तीसगढ़ राजपत्र

(असाधारण)
प्राधिकार से प्रकाशित

क्रमांक 977] नवा रायपुर, सोमवार, दिनांक 22 दिसम्बर 2025 — पौष 1, शक 1947

गृह (पुलिस) विभाग
मंत्रालय, महानदी भवन, नवा रायपुर अटल नगर

नवा रायपुर अटल नगर, दिनांक 22 दिसम्बर 2025

आदेश

ESTB/1284/2025-HOME SECTION.— राज्य सरकार, भारतीय नागरिक सुरक्षा, संहिता 2023 (अधिनियम सं. 46 सन् 2023) की धारा 265 की उप–धारा (3) के द्वितीय परंतुक, धारा 266 की उप धारा (2) के द्वितीय परंतुक, तथा धारा 308 के द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, कलेक्टर, जिला बिलासपुर एवं उनके अधिकार क्षेत्र में स्थित थानों में संचालित निम्नलिखित वीडियो कांफ्रेसिंग कक्षों को, निर्दिष्ट स्थानों के रूप में अधिसूचित करता है, अर्थात्:–

क्रमांक	स्थान	अधिसूचित किये जाने वाले कार्यालय का नाम
1	बिल्हा थाना	थाना
2	चकरभाठा थाना	थाना
3	सिटी कोतवाली थाना	थाना
4	सिविल लाईन थाना	थाना
5	हिर्री थाना	थाना
6	कोनी थाना	थाना
7	कोटा थाना	थाना
8	महिला थाना	थाना
9	मस्तुरी थाना	थाना
10	रतनपुर थाना	थाना
11	सकरी थाना	थाना
12	सरकंडा थाना	थाना
13	सीपत	थाना
14	सिरगिट्टी	थाना
15	तखतपुर	थाना
16	तारबहार	थाना
17	तोरवा	थाना
18	पचपेडी	थाना

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
श्रीकांत वर्मा, उप–सचिव.

संचालक, मुद्रण तथा लेखन सामग्री, छत्तीसगढ़ द्वारा शासकीय मुद्रणालय, रायपुर से मुद्रित तथा प्रकाशित – 2025.